कन्यादानः भारतीय एवं भारतेतर परिप्रेक्ष्य में सरदार पूर्ण सिंह

डॉ नरेन्द्र शर्मा स्नातकोत्तर शिक्षक **(हिन्दी)**

कन्यादान एक अप्रतिम पवित्र–बंधन है। कन्यादान को महादान भी कहा जाता है। ''कन्यादान का अर्थ कन्या का दान होता है। अर्थात पिता अपनी पुत्री का हाथ वर के हाथ में सौपता है। इसके बाद से कन्या की सारी जिम्मेदारियाँ वर को निभानी पड़ती है। यह एक भावुक संस्कार है, जिसमें एक बेटी अपने रूप में अपने पिता के त्याग को महसूस करती है। [1]''यानी कन्यादान के बाद लड़की पर पिता का नहीं बल्कि पति का स्वामित्व होता है।

'कन्यादान' का तात्पर्य अभिभावकों के उत्तरदायित्वों का वर के ऊपर ससुराल वालों के ऊपर स्थानान्तरण होना है।[2] अब तक माता–पिता 18 से 25 वर्ष तक कन्या के भरण–पोषण, लार–प्यार, सुख–शांति व सुरक्षा आदि का प्रबंध करते थे अब वह प्रबंध वर और उसके सम्बन्धियों को करना होगा। इसप्रकार हम कह सकते हैं कि वर पक्ष को रस्म पाणिग्रहण की जिम्मेदारी को पूरी तरह निष्ठा व कर्तव्यपराणता से निबाहना है। क्योंकि इस पाणिग्रहण के पश्चात वह अपने माता–पिता, भाई–बहन, सखी–सहेलियों का भरपूर प्यार पाने से दूर पति के घर चली आयी। उस दुःखद चिरकालीन विदाई के समय परिवार के सभी सदस्य, सखी–सहेली आदि अपनी प्रेमवती भेंट उसे भेंट करते है। वास्तव में इसे कन्यादान कहा जा सकता है। ''विवाहोत्सव पर कन्या को मिलने वाली यह सम्पूर्ण राशि (धन) कन्या धन होता है। पुरोहित लोग कन्यादान के नाम से ही यह धन कन्या को दिलवाते है। अतएव कन्या के लिए दिये भेट स्वरूप धन का ही मुख्य या परिभाषित नाम कन्यादान है।''[3]

कन्यादान को गुप्तदान (दहेज) का एक स्वरूप है। बच्ची के घर से विदा होने वक्त उसके अभिभावक किसी आवश्यकता के समय काम आने के लिए उपहार स्वरूप कुछ धन देते हैं पर होता वह गुप्त ही है। अभिभावक और कन्या के बीच यह निजी उपहार है। यह प्रगट न किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य मे हमारे यह प्रगट न किया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे दूरदर्शी–ऋषि– ज्ञानियों ने लोगों की स्वार्थपरता एवं दुष्टता की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह नियम बना दिया है कि जो कुछ भी दहेज दिया जाए, वह सर्वथा गुप्त हो, उस पर किसी को चर्चा करने का अधिकार न हो। आटे की लोई में छिपाकर कुछ धन जैसे कन्यादान के समय दिया जाता है। वह दहेज का यही स्वरूप है। कन्यादान एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसमें कन्या की दशा को दयनीय बनाने में अहम् भूमिका निभाई। हमारे भारतीय ऐतिहासिक परम्परा में भी नारी का अपमान व अत्याचार देखी गयी है।

यथाः–मेरी सोच :–

कन्यादान या अभिशाप
दान के नाम पर हो घोर अपराध
बेटी के नाम पर हो जग में हहाकार
ऐसी रस्मों को हमे जानना– समझना होगा।
बेटियाँ घर की लक्ष्मी व जान होती है।
दो घरों की आन शान होती है।

कन्यादान प्रथा ने समाज का अभिशापित किया। अब एक नए समाज का निर्माण करना होगा, कन्यादान की रस्मों व परिपाटियों को बदलना होगा। लिंग भेद ना करना होगा मनु व सतरूपा समझना होगा। मानवता को बचने के लिए समरसता गान करना होगा।

'कन्यादान' शीर्षक निबंध में सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक ने भारत मे कन्यादान की पद्धति, आर्य–आदर्श के भग्नाव वशिष्ट अंश, सच्ची स्वतंत्रता तथा यूरोप में गृहस्थों की बैचेनी आदि की विवेचना जिस चौकन्नी दृष्टि से की है, काबिले तारीफ है। इन्होने अपने वतन में कन्यादान की भावना का मूलोद्घाटन करते हुए उसकी पारिवारिक, सामाजिक, संसारिक एवं नैतिक उपादेयता पर विशेष रूप में प्रकाश डाला है। उन्होंने स्वीकारा है कि भारतवर्ष में विवाह, मात्र सामाजिक समझौता नहीं है बल्कि यह धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कृत्य व संस्कार हैं। यथाः –

''ऋषि लोग सॅदेसा भेजते हैं कि इस आदर्श का पूर्ण अनुभव से पालन करने में कुल जगत का कल्याण होगा। हे भारतवासियों। इस यज्ञ के माहात्म्य का आध्यात्मिक पवित्रता से अनुभव करो। इस यज्ञ में देवी और देवताओं को निमंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करो। विवाह को मखौल न जानो। यज्ञ का खेल न करो। झूठी खुदगर्जी की खातिर इस आदर्श को मटियामेट न करो। कुल जगत के कल्याण को सोचों। [4] ''कन्यादान की रस्म अदायगी के दरम्यान उसे एक पवित्रात्मा कन्या का दिल, जान, प्राण सबका सब अभी दान मिलता है। ''[5] समय की अजीब पवित्रता, माता–पिता, भाई–बहन और सखियों के दिलों की आशायें, सत्वगुणी संकल्पों का समूह, आये हुए देवी– देवताओं के आशीर्वाद, अग्नि व मेहंदी के रंग की लाली, कन्या का निरवलम्बता, अनायता, त्याग, वैराग्य और दिव्य अवस्था आदि ये सबके सब इस नौजवान के दिल पर ऐसा आध्यात्मिक असर करते हैं कि सदा के लिए अपने आपको वह इस देवी के चरणों में अर्पण कर देती है। इससे अटूट प्रेम की पराकष्ठा सिद्ध भी होती है। ''हिन्दू धर्म में, सद्गृहस्थ की परिवार निर्माण की जिम्मेदारी उठाने के योग्य शारीरिक, मानसिक, परिपक्वता आ जाने पर युवक युवतियों की विवाह–संस्कार कराया जाता है। इसमें पति–पत्नी बनकर अपने निश्चय की प्रतिज्ञा बंधन की घोषणा करते है। यह प्रतिज्ञा समारोह ही विवाह संस्कार है।'' विवाह संस्कार में कन्या के 'दान' शब्द का गौण प्रयोग जानना चाहिए। 'कन्यादान' में दान का मतलब– 'स्वस्वत्व निवृतिपूर्वक परस्वत्वापदनं दानम्।' अर्थात देय वस्तु पर अपना अधिकार त्यागकर उसे दूसरे के अधिकार में देना।''[7] मनुस्मृति में 'दान' शब्द ब्राहम, दैव आर्ष प्राजापत्य विवाह में उसके भरण–पोषण तथा उसकी मर्यादा की रक्षार्थ दायित्व सौपने एवं सख्याभाव से परस्पर मिलकर गृहस्थाश्रम में रहते हुए धर्माचरणपूर्वक धनोपार्जनकर उसका सदुपयोग करने तथा प्रजोत्पादन (संतानोप्तति) करने की अनुमति देने के अर्थ में ही आया है। कन्यादान की अभिप्राय आचार्य शौनक के अनुसार परस्पर मिलकर प्रयोत्पादन तथा श्रोत–स्मार्त कर्मों का धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक कृत्य व संस्कार करने के लिए पिता अपनी पुत्री वर को सौंपता है।

''कन्यायै दानमिति कन्यादानम्। ''मेरे लिए स्वतंत्रता परोपकार की भावना का चरम लक्ष्य है और परोपकार की भावना है समष्टिगत 'स्व' में व्यक्तिगत 'स्व' का लय होना। ऐसी स्वतंत्रता प्राप्त करना हर एक आर्य कन्या का आदर्श है। सच्चे आर्य–पिता की पुत्री गुलामी, कमजोरी और कमीनेपन के लालचों से सदा मुक्त है। वह देवी तो यहाँ संसार– रूपी सिंह पर सवारी करती है। केवल पूर्णनारी ही

मनुष्य की पवित्रता और त्याग का पाठ पढ़ा सकती है। वही उसे मनुष्यत्व और देवत्व का सॅदेश दे सकती है। सरदार पूर्ण सिंह जी ने भारतीय कन्याओं के विवाह पक्ष को श्रेष्ठ, सबल बतलाकर यूरोप की कन्यादान प्रथा पर भी अपनी टिप्पणी इस प्रकार की है:–

''लोग कहते हैं कि यूरोप में कन्यादान नही होता, परंतु विचार पूर्वक देखा जाए तो संसार में कभी कहीं भी गृहस्थ का जीवन कन्यादान के बिना सुफल नहीं हो सकता। यूरोप के गृहस्थों के दुखड़े तब तक कभी न जायेगे। जब तक एक बार फिर प्रेम का कानून, जिसको शेक्सपियर ने अपने ''रोमियों और जूलियट'' में इस खूबी से दरसाया है, लोगों के अमल में न आवेगा। अतएव यूरोप और अन्य पश्चिमी देशों में कन्यादान अवश्यमेव होता हैं। वहाँ कन्या पहले अपने आपको दान कर देती है, पीछे से गिरजे में जाकर माता, पिता था और कोई संबंधी फूलों से सजी हुई दुल्हन को दान करता है।''[8]

समग्रतः 'कन्यादान' भारतीयता की अद्भूत पहचान है। इसमें मानव जीवन में पवित्रता, एक निष्ठता आपसी सद्भाव एवं नयनों की गंगा से सम्बद्ध जीवन क शुचिता सदाचार आदि की मिशाल कायम करते हुए समस्त मानव जाति को भारतीय जीवन–दृष्टि से प्रेरणा ग्रहण करने की विशेषबात प्रगट की गई है।

संदर्भ :–

1. नवभारत टाइम्स इंडिया टाइम्स. डॉट कॉम स्ट्रो0 27 नवम्बर, 2018
2. विकि लब्ज मान्युमॅण्ट्स (hi.m.wikipedia.org/wiki)
3. विवाह–संस्करण (विकिपीडिया)
4. सं0 प्रभात शास्त्रीः सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंध पृष्ठ सं0 37
5. सं0 प्रभात शास्त्रीः सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंध पृष्ठ सं0 35
6. सं0 प्रभात शास्त्रीः सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंध पृष्ठ सं0 34
7. विवाह पद्धति
8. सं0 प्रभात शास्त्रीः सरदार पूर्ण सिंह अध्यापक के निबंध पृष्ठ सं0 24

लेखक : डॉ0 नरेन्द्र शर्मा

स्नातकोत्तर शिक्षक (हिन्दी)

जवाहर नवोदय विद्यालय,

विष्णुपुर (बेगूसराय)

बिहार : 851129